

## राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018

क्रमांक:-प.14(80)RSSB/अर्थना/स.बा.वि.से./पर्य.(आंगनबाडी)/पार्ट-आ/2018/447

दिनांक: 19/3/2021

### कार्यालय आदेश

बोर्ड द्वारा पर्यवेक्षक (महिला) (आंगनबाडी कार्यकर्ता कोटा) सीधी भर्ती परीक्षा-2018 में गैर अनुसूचित क्षेत्र के 291 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 18 रिक्त पदों पर बोर्ड द्वारा विज्ञापन संख्या 16/2018 दिनांक 01.10.2018 को जारी किया गया था। अति पिछडा वर्ग के लिये 11 अधिशेष पदों को बाद में शामिल किया गया है। उक्त पदों पर भर्ती की परीक्षा दिनांक 03.03.2019 को आयोजित की गई थी। उक्त परीक्षा का परिणाम बोर्ड द्वारा दिनांक 22.07.2019 को जारी कर पर्यवेक्षक (महिला) (आंगनबाडी कार्यकर्ता कोटा) हेतु गैर अनुसूचित क्षेत्र के 302 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 18 रिक्त पदों के विरुद्ध वरीयता के आधार पर श्रेणीवार रिक्त पदों का 1.5 गुणा अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन के लिए सूचीबद्ध किया जाकर अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच एवं मूल दस्तावेजों का सत्यापन दिनांक 07.08.2019 से दिनांक 09.08.2019 तक निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ, राजस्थान जयपुर द्वारा करवाए गए एवं वरीयता क्रम से श्रेणीवार चयन कर पदस्थापन हेतु अभिशंषा विभाग को दिनांक 14.10.2020 एवं 19.03.2021 को भिजवाई जा चुकी है। उपरोक्तानुसार दिनांक 07.08.2019 से दिनांक 09.08.2019 तक पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन में निम्नांकित गैर अनुसूचित क्षेत्र में ST एवं OBC (DIV.) श्रेणी में व TSP क्षेत्र में SC व ST श्रेणी के पात्र अभ्यर्थी अनुपलब्ध रहने से नीचे से पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किये गये अभ्यर्थियों की एवं श्रेणी परिवर्तन के कारण 1.5 गुणा सूची में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन किया जाना है। अतः उक्तानुसार अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन एवं पात्रता जांच मूल दस्तावेजों से दिनांक 26.03.2021 को प्रातः 10.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ, महिला एवं बाल विकास विभाग, 2, जल पथ, गांधी नगर जयपुर में किया जावेगा। अतः उपरोक्तानुसार अभ्यर्थी आवश्यक रूप से नियत समय व स्थान पर उपस्थित होकर होंगे। इस बाबत बाद में कोई भी अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा।

पूर्व में दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध अभ्यर्थियों में पात्र अभ्यर्थी अनुपलब्ध होने के कारण नीचे से लिये गये अभ्यर्थियों एवं श्रेणी परिवर्तन से 1.5 गुणा में शामिल अभ्यर्थियों के रोल नं०

#### NTSP

100679 100750 101244 101278 101452 102269 102566 104086  
104401 104858 106072 106174 106229 106417 106463 106789  
107317 107393 108197\*\*\*

कट ऑफ:-

CATEGORY	CUT OFF MARKS
ST	87.2483
OBC(DIV.)	83.2215

#### TSP

101428 102814 103137 103215 104518 105123 106389 106972  
106976\*\*\*

कट ऑफ:-

CATEGORY	CUT OFF MARKS
SC	87.2483
ST	87.2483

पात्रता की जांच हेतु उपस्थित होते समय निम्न बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जावे:-

- 1-विस्तृत आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाईट [www.rsmssb.rajasthan.gov.in](http://www.rsmssb.rajasthan.gov.in) पर "अन्तिम चयन हेतु विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र भरने हेतु आवेदकों के लिये आवश्यक निर्देश एवं महिला पर्यवेक्षक (आंगनबाडी कोटा) सीधी भर्ती परीक्षा-2018 के लिये दिनांक 01.10.2018 को जारी विज्ञापित का ध्यानपूर्वक अध्ययन करलें। विस्तृत आवेदन एवं सह परिनिरीक्षा प्रपत्र एवं निर्देशत था विस्तृत आवेदन का प्रारूप मय प्रपत्रों के बोर्ड की वेबसाईट [www.rsmssb.rajasthan.gov.in](http://www.rsmssb.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है।


*(Handwritten signature)*



## राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018

- 2-विस्तृत आवेदन दो प्रतियों में अलग-अलग लाना है। विस्तृत आवेदन की फोटो प्रति स्वीकार नहीं की जावेगी। विस्तृत आवेदन की एक प्रति के साथ 100 रुपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर, सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के नाम संलग्न करना है।
- 3-शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु, श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ावर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग), विशेष श्रेणी (भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, विशेष योग्यजन, अनुसूचित क्षेत्र), चरित्र, वैवाहित स्थिति (विधवा, परित्यक्ता), संतान संबंधी, सेवारत होने संबंधी मूल प्रमाण-पत्र एवं दस्तावेज तथा स्वयं का पहचान पत्र आवश्यक रूप से साथ लावें।
- 4-विस्तृत आवेदनपत्र के साथ प्रमाण-पत्रों एवं दस्तावेजों की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न करें।
- 5-अभ्यर्थी कोरोना वैश्विक महामारी को दृष्टिगत रखते हुए मास्क पहनकर आएंगे तथा इस प्रक्रिया के दौरान व्यक्तिगत स्वच्छता (Personal Hygiene) एवं "वैयक्तिक एवं सामाजिक दूरी" (Physical and Social Distancing) की पालना सुनिश्चित करेंगे।

  
( पुष्कर राज शर्मा )  
सचिव